Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 178/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
जगदीश पुत्र भेराराम जाति रावल निवासी ग्राम बावरला तहसील तिंवरी जिला जोधपुर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 9–9–2019 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 288/2019 अनवान जगदीश बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम चैनसिह नगर बालरवा के खसरा नंबर 2/5 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुद आई हुई है । उक्त भूमि पूर्व मे खातेदार भैराराम के नाम दर्ज थी जिनके देहांत के बाद नामांतरकरण संख्या 377 के जरिये उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की गई तथा राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी एवं उसके पिता का नाम तो सही अंकित किया गया परंतु प्रार्थी की जाति भाट लिखी हुई है जो मेघवाल जाति की उपजाति है लेकिन प्रार्थी की जाति भाट नही होकर रावल है इसलिए धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थी एवं उसके पिता के नाम के आगे जाति भाट के स्थान पर रावल दर्ज करने का निवेदन किया । अपीलांट ने अपनी जाति रावल होने बाबत दस्तावेजात यथा परिचय पत्र व राशन कार्ड तथा जाति प्रमाण पत्र आदि पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर बाद रेकर्ड की जांच के अपीलांट ने वर्ष 2000 को जारी प्रमाण पत्र के बाद का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया होने का उल्लेख करते हए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा बालरवा तहसील तिंवरी के खसरा नंबर 2/5 रकबा 12.02 बीघा भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट एवं अपीलांट के पिता का नाम का तो सही अंकन किया गया है परंतु अपीलांट

pdfelement

Remove Watermark Now

की जाति रावल के स्थान पर भाट लिखी हुई है जिसे दुरस्त कर रावल दर्ज करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि मेघवाल जाति के इतिहास एवं उसके रितीरिवाज, नाच गान आदि अनुसार मेघवालो का भाट को ही रावल जाति से जाना जाता है तथा अपीलांट का मेघवाल जाति से ही संबंध है इसलिए राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट की जाति जहां भाट लिखी गई है उसे रावल दर्ज करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट की जाति सहवन से भाट दर्ज हो जाने से अपीलांट अपने खातेदारी अधिकारो का सही ढंग से उपयोग व उपभोग नही कर पा रहा है तथा अपीलांट को अनुसुचित जाति के कृषको को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नही मिल रहा है तथा अपीलांट अपने वाजिब हक अधिकारो से भी वंचित रह रहा है इसलिए अपीलांट राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम के आगे उल्लेखित जाति भाट के स्थान पर रावल दर्ज करवाना चाहता है तथा अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मे यदि भाट के स्थान पर अपीलांट की सही जाति रावल का इन्द्राज कर दिया जाता है तो किसी अन्य व्यक्ति या राज्य सरकार के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा इसलिए अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जिन सभी मे अपीलांट के नाम एवं पिता के नाम के साथ रावल जाति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट की सही जाति रावल दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा की गई जांचो मे यह पाया गया है कि मेघवालो के भाट को ही रावल कहा जाता है अथार्त भाट को रावल माना गया है जिनका रिश्ता मेघवाल समाज से है उन्हे ही रावल घोषित किया है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा खसरा नंबर 2/5रकबा 12.02 बीघा भूमि मौजा बालरवा तहसील तिवरी के राजस्व रेकर्ड मे जहां अपीलांट की जाति भाट दर्ज है, को दुरस्त करते हुए मेघवालो के भाट उर्फ रावल दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–9–2019 जो बिना तथ्यो पर विचार किये पारित किया गया है, उसे निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार तिंवरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाये कि राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट के नाम के आगे अंकित की गई जाति भाट के स्थान पर जाति रावल दर्ज करवाया जाये ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधि एवं न्यायसंगत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने वर्तमान मे उसकी जाति रावल होने के संबंध मे जारी कोई प्रमाण पत्र पेश नही किया जाने पर जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–9–2019 का अवलोकन किया तथा

pdfelement

Remove Watermark Now

अपीलांट द्वास वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अपीलांट जगदीश ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया था कि राजस्व ग्राम चैनसिह नगर बालरवा के खसरा नंबर 2/5 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई श्यामलाल के पिता भेराराम के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि जिनका देहांत होने पर नामांतरकरण संख्या 377 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई । जिसमे प्रार्थी का नाम एवं पिता का नाम का अंकन तो सही किया गया लेकिन प्रार्थी की जाति रावल के स्थान पर भाट लिख दी गई जिसे उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये जाति भाट के स्थान पर जाति रावल दर्ज करते हुए शुद्धि का निवेदन किया तथा अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपने नाम के आगे रावल जाति का उल्लेख होने बाबत तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 12–6–2000 को जारी जाति प्रमाण पत्र, उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा दिनांक 16–11–98 को जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमे भी अपीलांट जगदीश पुत्र भेराराम जाति रावल निवासी बालरवा का उल्लेख किया हुआ है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट जगदीश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का यह विवेचन देते हुए खारीज कर दिया कि अपीलांट ने वर्तमान मे उसकी जाति रावल होने के संबंध मे जारी कोई प्रमाण पत्र पेश नही किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान प्रस्तुत अपील मे अपीलांट ने उसके पक्ष मे उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा वर्ष 1998 मे जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमे अपीलांट जगदीश के पिता का नाम भेराराम तथा जाति रावल निवासी बालरवा का उल्लेख है, तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 12–6–2000 को अपीलांट जगदीश के पक्ष मे जारी जाति प्रमाण पत्र जिसमे भी अपीलांट जगदीश के पिता का नाम भेराराम जाति समुदाय मे रावल (अनुसुचित जाति) निवासी बालरवा का उल्लेख किया हुआ है, इसी प्रकार आबादी भूमि का पट्टा विलेख जिसमे अपीलाट का नाम जगदीश उसके पिता का नाम भेराराम तथा जाति रावल दर्ज है, इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत बालरवा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 2–9–2019 जिसमे अपीलांट जगदीश के पिता का नाम भेराराम जो ग्राम बालरवा का निवासी होना बताया है इनकी जाति भाट, मेगवाल भाट, रावल है तथा इनका सामाजिक जीवन मेघवाल समाज के साथ जुडा हुआ है तथा मेगवाल समाज के साथ ही खान–पान, उठक बैठक तथा तीज–त्योहार मे सम्मलित होते है तथा यह अनुसुचित जाति की श्रेणी मे होना बताया है। इसी प्रकार रावल समाज विकास संस्थान कुडी भगतासनी रोड, सांगरिया जोधपुर के सचिव पृथ्वीराज राव द्वारा जारी पत्र क्रमांक 123 दिनांक 27–6–2019 मे भी अपीलांट जगदीश को भेराराम का पुत्र तथा बालरवा का निवासी बताया है तथा अपीलांट जगदीश को रावल समाज विकास संस्थान का सदस्य होना तथा उसकी सदस्यता क्रमांक 115 होना बताया है जो कि अनुसुचित जाति की श्रेणी मे आता है तथा इनके परिवार मे अनुसुचित जाति का प्रमाण पत्र पहले से ही बने हुए होने का उल्लेख किया हुआ है ।

pdfelement

Remove Watermark Now

अथार्त उक्त तमाम दस्तावेजात से यह प्रकट है कि अपीलांट मेगवाल समाज से ही है तथा मेगवाल समाज मे भाट, मेगवाल भाट, रावल एक ही जाति है । अपीलांट एक काश्तकार की हैसियत से सरकार की योजनाओ से मिलने वाले परिलाभो से वंचित हो रहा है, जो न्यायसंगत नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–9–2019 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार तिवरी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट जगदीश पुत्र भेराराम निवासी बालरवा की जाति रावल (अनुसुचित जाति मे होने) के बारे मे अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो, साक्ष्य एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो का गहनता से अध्ययन एवं जांच कर अपीलांट की जाति एवं उपजाति के संबंध मे पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 13–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

pdfelement

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.12.20 14:04:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: